

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 241]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 21 मई 2020 — वैशाख 31, शक 1942

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 21 मई 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-20/2019/18.— छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 292-क, 292-ख, 292-ग, 292-घ, 292-झ सहपठित धारा 433 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 339-क, 339-ख, 339-ग, 339-घ, 339-झ सहपठित धारा 355 एवं 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम तथा नगरपालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निबंधन तथा शर्तों) नियम, 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में, —

नियम 10 में, उप-नियम (5) में,—

- (एक) अंक तथा शब्द “500 वर्गफीट” के स्थान पर, अंक तथा शब्द “968.76 वर्गफीट (90 वर्ग मीटर)” प्रतिस्थापित किया जाये; और
- (दो) अंक तथा शब्द “600 वर्गफीट” के स्थान पर, अंक तथा शब्द “1076.40 वर्गफीट (100 वर्ग मीटर)” प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, संयुक्त सचिव.

अटल नगर, दिनांक 21 मई 2020

क्रमांक एफ 5-20/2019/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-20/2019/18 दिनांक 21-05-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 21st May 2020

NOTIFICATION

No. F 5-20/2019/18.— In exercise of the powers conferred by Section 292-A, 292-B, 292-C, 292-F and 292-I read with Section 433 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956) and Section 339-A, 339-B, 339-C, 339-F and 339-I read with Section 355 and 356 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No.37 of 1961), the State Government, hereby, make the following further amendments in the Chhattisgarh Municipal Corporation and Municipalities (Registration of Colonizer, Terms and Conditions) Rules 2013, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, -

In rule 10, in sub-rule (5),-

- (i) for the figure and words “500 square feet” the figure and words “968.76 square feet (90 square meters)” shall be substituted; and
- (ii) for the figure and words “600 square feet” the figure and words “1076.40 square feet (100 square meters)” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. EKKA, Joint Secretary.